भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

(राजभाषा प्रभाग)

शहरी विकास मंत्रालय में भारत के संविधान में की गई अपेक्षाओं को पूरा करने एवं भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालनार्थ हिंदी अनुभाग अधिष्ठापित है। इसके अलावा, यह राजभाषा प्रभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले कागजात एवं अन्य दस्तावेज का अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद का कार्य भी करता है। हिंदी अनुभाग के कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए निदेशक (राजभाषा) की सहायता के लिए अनुभाग में इस समय एक उप निदेशक (राजभाषा), एक सहायक निदेशक (राजभाषा), एक वरिष्ठ हिंदी अनुवादक और तीन कनिष्ठ हिंदी अनुवादक तैनात हैं। यह राजभाषा प्रभाग, शहरी विकास मंत्रालय के साथ-साथ आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय एवं इन दोनों मंत्रालयों के सभी सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा के लिए उत्तरदायी है और यह एक नोडल प्रभाग के रूप मे कार्य कर रहा है:-

मंत्रालय में निम्नलिखित कार्य निष्पादित किए जाते हैं :

- अंग्रेजी से हिन्दी तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद के समस्त कार्य इनमें साधारण आदेश, अधिसूचनाएं, परिपत्र, रिपोर्ट इत्यादि शामिल है।

- संयुक्त सचिव (प्रशासन), शहरी विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में शहरी विकास एवं आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की गठित संयुक्त राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का प्रत्येक तिमाही में नियमित आयोजन, दोनों मंत्रालयों में राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति में सुधार की समीक्षा, हिंदी का प्रयोग करने में आने वाली कठिनाइयों का निराकरण करने के लिए उपाए करना। वर्ष 2016-17 के दौरान अब तक इस समिति की तीन बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं।
- शहरी विकास एवं आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री की अध्यक्षता में शहरी विकास एवं आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की संयुक्त हिंदी सलाहकार समिति का गठन एवं वर्ष के दौरान कम से कम 2 बैठकें आयोजित

करना एवं बैठकों में लिए गए निर्णयों का अनुपालन दोनों मंत्रालयों एवं अधीनस्थ कार्यालयों में कराना। वर्ष 2016-17 के दौरान अब तक इस समिति की 2 बैठकें 21 अप्रैल, 2016 को हैदराबाद और 18 अक्तूबर,2016 को कोच्चि (केरल) में आयोजित की गई हैं।

माननीय शहरी विकास एवं आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडू जी द्वारा कोच्चि, केरल में आयोजित संयुक्त हिंदी सलाहकार समिति की बैठक के अवसर पर दीप प्रज्ज्वलित करते हुए

शहरी विकास एवं आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडू की अध्यक्षता में कोच्चि में आयोजित संयुक्त हिंदी सलाहकार समिति की बैठक का दृश्य

- अपना दैनिक कार्य हिन्दी में करने के लिए प्रशिक्षण देने हेतु शहरी विकास मंत्रालय और आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रत्येक तिमाही में नियमित रुप हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन करना। वर्ष 2016-17 के दौरान शहरी विकास मंत्रालय एवं आवास और शहरी गरीबीउपशमन मंत्रालय में अब तक 2-2 हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं।

- राजभाषा विभाग द्वारा सभी मंत्रालयों को हिंदी में अधिकाधिक और सर्वोत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु लागू पुरस्कार योजना के अंतर्गत दोनों मंत्रालयों को निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षितजानकारी उपलब्ध करानी आवश्यक होती है, जिसके आधार पर राजभाषा विभाग द्वारा मंत्रालयों को पुरस्कृत किया जाता है।

उल्लेख है कि वर्ष 2015-16 के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना के अंतर्गत शहरी विकास मंत्रालय को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति भवन के अशोका हाल में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में 14 सितम्बर 2016 को भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए गए। सचिव (शहरी विकास) की ओर से यह पुरस्कार शहरी विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री धर्मेन्द्र ने प्राप्त किया।

भारत के महामहिम राष्ट्रपति माननीय श्री प्रणव मुखर्जी के कर-कमलों से शहरी विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव, श्री धर्मेन्द्र जी राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त करते हुए

शहरी विकास एवं आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडू शहरी विकास मंत्रालय को प्राप्त राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से संबंधित शील्ड देखते हुए।

- शहरी विकास मंत्रालय के तत्वावधान में शहरी विकास मंत्रालय तथा आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, दोनों, के सभी अधीनस्थ कार्यालयों के लिए संयुक्त रुप से राजभाषा संगोष्ठी के आयोजन की दिशा में प्रयत्न जारी है। इस सिलसिले में पहली संगोष्ठी एनबीसीसी द्वारा 7 सितम्बर, 2016 को आयोजित की गई थी। दूसरी संगोष्ठी प्रकाशन विभाग द्वारा 18 नवम्बर, 2016 को आयोजित की गई है। इन दोनों संगोष्ठियों में दोनों मंत्रालयों के सभी अधीनस्थ कार्यालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसी श्रृंखला में तीसरी संगोष्ठी हडको द्वारा शीघ्र ही आयोजित करने का प्रस्ताव है।

- शहरी विकास मंत्रालय एवं आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय तथा दोनों मंत्रालयों के अधीनस्थ कार्यालयों में अनुवाद की भाषा को सरल एवं सुबोध बनाने हेतु पारिभाषिक शब्दावली के लिए निदेशक (राजभाषा) की अध्यक्षता में गठित शब्दावली चयन समिति की अब तक 5 बैठकें आयोजित हो चुकी हैं। इस शब्दावली को नवम्बर, 2016 माह के दौरान अंतिम रुप दिए जाने की संभावना है।

- कार्यालय में हिन्दी दिवस/सप्ताह का आयोजन करना जिसके दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं आदि का आयोजन करना एवं नकद पुरस्कार देना

- राजभाषा विभाग की हिंदी टिप्पण तथा आलेखन योजना को लागू करना एवं वर्ष के दौरान इस निमित्त् हिंदी में किए गए कार्य का मूल्यांकन करना एवं पुरस्कारों का निर्णय करना।

- राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत दोनों मंत्रालयों के अधीनस्थ कार्यालयों और उनके क्षेत्रीय कार्यालयों को अधिसूचित करना।

- दोनों मंत्रालयों के जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदीका कार्यसाघक ज्ञान, हिंदी आशुलिपि तथा टाइपिंग का ज्ञान नहीं है, उन्हें मंत्रालय के प्रशासन अनुभाग द्वारा राजभाषा विभाग की हिंदी शिक्षण योजना के अधीन क्रमश: हिंदी भाषा, हिंदी आशुलिपि तथा टाइपिंग के प्रशिक्षण में भेजकर अपेक्षित स्तर का प्रशिाक्षण दिलवाना।

- राजभाषा विभाग को मंत्रालय में हिंदी के कार्यान्वयन से संबंधित आवधिक रिपोर्टें (तिमाही प्रगति रिपोर्ट, वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट आदि) भेजना
- दोनों मंत्रालयों के अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग से संबंधित आवधिक रिपोर्टें (तिमाही प्रगति रिपोर्ट, वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट आदि) मंगवाना एवं उनकी समीक्षा करना और पाई गई कमियों के निराकरण के उपाए सुझाना

- संसदीय राजभाषा समिति द्वारा समय-समय पर दोनों मंत्रालयों एवं इन मंत्रालयों के अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग के बारे में निरीक्षण किए जाते हैं। ऐसे निरीक्षण के अवसर पर मंत्रालय द्वारा निर्धारित निरीक्षण प्रश्नावली में अपेक्षित सूचना उपलब्ध करानी होती है। इसी प्रकार, दोनों मंत्रालयों के अधीनस्थ कार्यालयों (दिल्ली और दिल्ली से बाहर) में किए जाने वाले ऐसे निरीक्षण के अवसर पर कार्यालय द्वारा तैयार की जाने वाली प्रश्नावली की मंत्रालय द्वारा समीक्षा की जाती है, निरीक्षण बैठकों के आयोजन एवं अन्य महत्वपूर्ण सूचनाउपलब्ध कराने के संबंध में मंत्रालय द्वारा समन्वय कार्य किए जाते हैं और ऐसी निरीक्षण बैठकों में संयुक्त सचिव (प्रशासन) और निदेशक (राजभाषा) का उपस्थित होना अनिवार्य होता है। निरीक्षण के उपरांत संसदीय राजभाषा समिति को निरीक्षण के दौरान दिए जाने वाले आश्वानों को पूरा कराने के संबंध में अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा

की जाने वाली कार्रवाई की निगरानी की जाती है ताकि निर्धारित अवधि के भीतर आश्वासनों को पूरा किया जा सके।

- मंत्रालयों के विभिन्न अनुभागों/प्रभागों और दोनों मंत्रालयों के अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग की स्थिति का जायजा लेश्ने के लिए निरीक्षण करना तथा पाई गई कमियों को मौके पर ही दूर करने के लिए उपाए सुझाना